

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(231)(वित्त-1)(1)आय व्ययक/2016/
कोषाधिकारी,
जयपुर शहर।

दिनांक 26.10.2017

(स्वीकृति संख्या 397 /2017-18)


विषय : वर्ष 2016-17 में संग्रहित नगरीय उपकर की राशि विद्युत वितरण कम्पनियों के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.6(ट) (319)लेखा/डीएलबी/U.Cess/ 2016/16462-88 दिनांक 25.10.2017 (प्रति संलग्न) के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि राज्य की विद्युत कम्पनियों के निजी निक्षेप खाते में राशि रुपये 9670.30 लाख (अक्षरे रूपये छियानवें करोड़ सत्तर लाख तीस हजार मात्र) निम्नांकित बजट मदों में व्यय अंकित करते हुये हस्तान्तरित कर दी जावे :-

नाम मद	जमा मद			
मांग संख्या - 29	क्र. सं.	विद्युत कम्पनी का नाम	निजी निक्षेप खाता संख्या कोष कार्यालय जयपुर शहर	राशि (लाखों में)
2217 - शहरी विकास 80 - सामान्य 191 - नगर निगम को सहायता (29) - सार्वजनिक रोशनी [01] - विद्युत बिलों का भुगतान 12 - सहायतार्थ अनुदान (प्रतिबद्ध) राज्य निधि	1	जयपुर विद्युत वितरण कम्पनी लि० जयपुर	597	2979.88
राशि रुपये 2979.88 लाख	राशि रुपये 2979.88 लाख			
2217 - शहरी विकास 80 - सामान्य 192 - नगर परिषद/नगर पालिकाओं को सहायता (33) - सार्वजनिक रोशनी [01] - विद्युत बिलों का भुगतान 12 - सहायतार्थ अनुदान (प्रतिबद्ध) राज्य निधि	1	जयपुर विद्युत वितरण कम्पनी लि० जयपुर	597	2648.15
	2	अजमेर विद्युत वितरण कम्पनी लि० अजमेर	599	2503.11
	3	जोधपुर विद्युत वितरण कम्पनी लि० जोधपुर	595	1539.16
		योग		6690.42
राशि रुपये 6690.42 लाख	राशि रुपये 6690.42 लाख			
योग राशि रुपये 9670.30 लाख	योग राशि रुपये 9670.30 लाख			


भवदीय


(जंसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा-1 राजस्थान, जयपुर।
02. प्रमुख शासन सचिव महोदय, आयोजना विभाग, राज० जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव ऊर्जा विभाग राजस्थान, जयपुर।
04. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राज० जयपुर।
05. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज० जयपुर।
06. प्रबंध निदेशक, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विद्युत वितरण निगम लि०, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
07. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3 अनुभाग) विभाग, राज० जयपुर।
08. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
09. वित्त (मार्गोपाय) अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक वित्त (कम्प्यूटर सेल), जयपुर।
11. सुरक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

जी-3, राज महल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

वेबसाईट- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

ई-मेल- caodlb@gmail.com

टेलीफोन/फैक्स नं - 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(319)लेखा/डीएलबी/U.Cess/ 2016/ 16462

दिनांक 15.10.17

स्वीकृति आदेश

राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वर्ष 2016-17 में संग्रहित नगरीय उपकर की राशि में से विद्युत कम्पनियों द्वारा समेकित निधि में जमा करायी गई राशि में से राशि 9670.30 लाख (अक्षरे रूपये छियानवें करोड़ सत्तर लाख तीस हजार मात्र) निम्नांकित बजट मदों में व्यय अंकित करते हुये विद्युत वितरण कम्पनियों के निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

नाम मद	जमा मद			
मांग संख्या - 29				
2217 - शहरी विकास 80 - सामान्य 191 - नगर निगम को सहायता (29) - सार्वजनिक रोशनी [01] - विद्युत बिलों का भुगतान 12 - सहायतार्थ अनुदान (प्रतिबद्ध) राज्य निधि	क्र. सं.	विद्युत कम्पनी का नाम	निजी निक्षेप खाता संख्या कोष कार्यालय जयपुर शहर	राशि (लाखों में)
	1	जयपुर विद्युत वितरण कम्पनी लि० जयपुर	597	2979.88
राशि रूपये 2979.88 लाख	राशि रूपये 2979.88 लाख			
2217 - शहरी विकास 80 - सामान्य 192 - नगर परिषद/नगर पालिकाओं को सहायता (33) - सार्वजनिक रोशनी [01] - विद्युत बिलों का भुगतान 12 - सहायतार्थ अनुदान (प्रतिबद्ध) राज्य निधि	क्र. सं.	विद्युत कम्पनी का नाम	निजी निक्षेप खाता संख्या कोष कार्यालय जयपुर शहर	राशि (लाखों में)
	1	जयपुर विद्युत वितरण कम्पनी लि० जयपुर	597	2648.15
	2	अजमेर विद्युत वितरण कम्पनी लि० अजमेर	599	2503.11
	3	जोधपुर विद्युत वितरण कम्पनी लि० जोधपुर	595	1539.16
	योग			6690.42
राशि रूपये 6690.42 लाख	राशि रूपये 6690.42 लाख			
योग राशि रूपये 9670.30 लाख	योग राशि रूपये 9670.30 लाख			

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी. क्रमांक: 171701139 दिनांक 18.10.2017 के क्रम में जारी की जा रही है।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव


क्रमांक : प.6(ट)(319)लेखा/डीएलबी/U.Cess/ 2016/ 16463 - 88

दिनांक 15.10.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।

3. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), जयपुर ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ।
5. शासन सचिव (बजट)/आयोजना, राजस्थान, जयपुर ।
6. निजी सचिव, शासन सचिव ऊर्जा विभाग राजस्थान, जयपुर ।
7. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति के अनुसार संबंधित विद्युत वितरण कम्पनियों के निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरण की स्वीकृति जारी कराने हेतु ।
8. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
9. वित्तीय सलाहकार, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
10. प्रबंध निदेशक, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0, जयपुर/जोधपुर/अजमेर
11. वरिष्ठ उपमहालेखाकार, स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर ।
12. निवासी लेखा परिक्षाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर ।
14. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर ।
16. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
17. परियोजना निदेशक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) निदेशालय ।
18. अंक मिलान शाखा/बजट शाखा ।
19. प्रभारी बेवसाईट/प्रभारी ई-गवर्नेंस/समन्वयक, सीएमएआर को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु ।
20. सुरक्षित पत्रावली ।


 (हुलास चन्द्र) ।
 मुख्य लेखाधिकारी